

हरियाणा सरकार
सचिवालय स्थापना
अधिसूचना

दिनांक 21 मई 2021

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत हरियाणा सिविल सचिवालय के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए, महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आन्तरिक शिकायत समिति के गठन हेतु निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया गया है :-

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. डा० सुमिता मिश्रा, भा. प्र. से. | : | अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी |
| 2. श्री अनुराग अग्रवाल, भा. प्र. से. | : | सदस्य |
| 3. श्रीमती श्रुति जैन गोयल, उप महाधिवक्ता | : | सदस्य |
| 4. श्रीमती रशमी ग़ोवर, सयुक्त सचिव | : | सदस्य |

2. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के सन्दर्भ में आंतरिक शिकायत समिति को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के उद्देश्य अनुसार जांच अधिकारी समझा जाएगा। तत्पश्चात जांच रिपोर्ट अनुसार अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्यवाही की जायेगी।

3. नियमानुसार आंतरिक शिकायत समिति, पीड़ित की शिकायत को समयबद्ध निवारण के लिए उत्तरदायी होगी।

4. आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य अपनी नामांकित तिथि से तीन वर्ष से अधिक पद पर कार्य नहीं करेंगे।

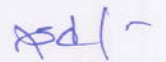
5. आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष/ पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विजय वर्धन
मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 22/46/2011- 6स्था-1

दिनांक चंडीगढ़ 21 मई 2021

एक प्रति नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री हरियाणा चंडीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उक्त अधिसूचना हरियाणा राज्य के सामान्य गजट के साथ प्रकाशित की जाए तथा 25 प्रतियाँ इस विभाग को भी भेज दी जाए


अधीक्षक स्थापना-I
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 22/46/2011- 6स्था-1

दिनांक चंडीगढ़ 21 मई 2021

अधीक्षक स्थापना-1
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 22/46/2011- 6स्था-1

दिनांक चंडीगढ़ 21 मई 2021

✓ एक प्रति तकनीकी निदेशक तथा प्रोजेक्ट प्रभारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अधिसूचना को हरियाणा सिविल सचिवालय की वेबसाइट पर लगाने के अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है

अधीक्षक स्थापना-1
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 22/46/2011- 6स्था-1

दिनांक चंडीगढ़ 21 मई 2021

एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ सूचित की जाती है कि इसे अपने अधीनस्थ हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाए -

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव हरियाणा सरकार।
2. प्रधान सचिव/ अतिरिक्त पीएससीएम/ पीओएसडी/ ओएसडी मुख्यमंत्री हरियाणा।
3. सभी सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव हरियाणा सरकार।
4. सभी विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/ सचिव/ निजी सचिव मंत्री / अधीक्षक/ उप अधीक्षक/ शाखा प्रभारी हरियाणा सिविल सचिवालय।

अधीक्षक स्थापना-1
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार